विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में एक समीक्षा सहित 20 कंडिकायें जिसमें अवनिर्धारण, कर के कम आरोपण/अनारोपण इत्यादि जिसमें राशि ₹ 92.85 करोड़ सन्निहित है जो **'भाग-क'** में उल्लेखित है एवं एक समीक्षा सहित पाँच कंडिकायें जिसमें वन विभाग में गलत दर लगाना, मांग नहीं करना, अनियमित/टालने योग्य व्यय इत्यादि जिसमें राशि ₹ 149.22 करोड़ सन्निहित है जो **'भाग-ख'** में उल्लेखित है। कुछ प्रमुख प्रेक्षण नीचे वर्णित है :

I. सामान्य

गत वर्ष के ₹ 14,770.73 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य शासन की कुल प्राप्तियाँ ₹ 17,650.16 करोड़ रहीं। इसमें से 60 प्रतिशत राशि कर राजस्व (₹ 13,034.21 करोड़) और कर भिन्न राजस्व (₹ 4,615.95 करोड़) द्वारा राज्य को प्राप्त हुई। शेष 40 प्रतिशत राशि भारत शासन के विभाज्य संघीय करों में राज्यांश (₹ 7,217.60 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹ 4,710.33 करोड़) से प्राप्त हुई।

(कंडिका 1.1)

जून 2013 के अंत में, दिसम्बर 2012 तक जारी, 2,549 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 9,943 लेखापरीक्षा प्रेक्षण जिनमें ₹ 5,930.53 लंबित रही ।

(कंडिका 1.6.1)

वर्ष 2012-13 के दौरान वाणिज्यिक कर, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, भू-राजस्व, वाहनों पर कर, राज्य आबकारी, विद्युत पर कर एवं शुल्क एवं कर भिन्न राजस्व आदि के प्राप्तियों की 115 इकईयों की नमूना जाँच में ₹ 1,334.05 करोड़ अवनिर्धारण/कम आरोपण राजस्व की हानि के 6,407 प्रकरण पाये गये। वर्ष 2012-13 के दौरान सम्बन्धित विभागों द्वारा 4,713 प्रकरणों में, जिसमें ₹ 181.55 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। वर्ष के दौरान इसमें से विभाग द्वारा ₹ 95.53 लाख की वसूली की गई

(कंडिका 1.12.3)

II. वाणिज्यिक कर

कर निर्धारण अधिकारियों ने ₹ 1.34 करोड़ का गलत/अधिक आगत कर प्रदान किया।

(कंडिका 2.11)

कर निर्धारण अधिकारियों के द्वारा गलत कर की दर आरोपित करने से ₹ 3.06 करोड़ का मूल्य संवर्धित कर का कम/अनारोपण शास्ति सहित हुआ।

(कंडिका 2.12)

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 'सी' फार्म के अनाधिकृत उपयोग पर शास्ति आरोपण में असफल होने से शास्ति ₹ 1.19 करोड़ का अनारोपण हुआ।

(कंडिका 2.13)

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अतिरिक्त निष्क्रिय अल्कोहल के अनियमित छूट प्रदाय किये जाने से प्रवेश कर ₹ 32.47 लाख का अनारोपण हुआ।

(कंडिका 2.16)

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुसूची की प्रविष्टि का सत्यापन एवं उसके अनुरूप करारोपण करने में असफल रहने से प्रवेश कर ₹ 38.89 लाख का अनारोपण हुआ।

(कंडिका 2.19)

III. मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क

लोक कार्यालयों के साथ समन्वय की कमी से ₹ 67.63 करोड़ के मुद्रांक शुल्क व जनपद शुल्क की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 3.2.12)

उद्योगों को गलत छुट प्रमाण पत्र जारी किये जाने से मुद्रांक शुल्क ₹ 4.65 करोड़ का अनारोपण हुआ।

(कंडिका 3.2.13)

उप पंजीयकों के द्वारा लिखितों में वर्णित विवरण के आधार पर वर्गीकरण न करने से मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस ₹ 1.17 करोड़ का अनारोपण हुआ।

(कंडिका 3.2.22)

उप पंजीयको द्वारा महिला निष्पादकों को मुद्रांक शुल्क में अनियमित कमी दिए जाने से मुद्रांक शुल्क ₹ 22.49 लाख की कम वसूली हुई।

(कंडिका 3.2.23)

उप पंजीयकों द्वारा परिवर्तित भूमि के बाजार मूल्य का सही निर्धारण न करने से मुद्रांक शुल्क व पंजीयन फीस ₹ 40.56 लाख का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 3.2.26)

उप पंजीयको द्वारा छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में वर्णित दरों के अनुरूप बाजार मूल्य का निर्धारण न करने से मुद्रांक शुल्क व पंजीयन फीस ₹ 1.02 करोड़ की कम वसूली हुई।

(कंडिका 3.2.27)

कंपनियों के समामेलन पर जनपद शुल्क ₹ 2.30 करोड़ का अनारोपण हुआ साथ ही अन्य राज्य में जमा की गई ₹ 1.83 करोड़ के मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं की गई।

(कंडिका 3.2.31)

IV. भू - राजस्व

कलेक्टर द्वारा प्रक्रिया शुल्क की वसूली न करने से ₹ 16.76 लाख का कम आरोपण।

(कंडिका 4.7)

V. वाहनों पर कर

डिमाण्ड ड्राफ्टों के प्रेषण, वसूली एवं समाशोधन से सम्बधित कोई उचित व्यवस्था क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर द्वारा न अपनाये जाने के फलस्वरूप शासकीय राजस्व ₹ 1.31 लाख का गबन हुआ।

(कंडिका 5.9)

छः परिवहन कार्योलयों में व्यापार फीस ₹ 1.60 करोड़ का अनारोपण/कम आरोपण था।

(कंडिका 5.10)

डिफाल्टर वाहन स्वामियों को टैक्स की वसूली हेतु नोटिस जारी न करने के फलस्वरूप सात परिवहन कार्यालयों में ₹ 1.73 करोड़ का कर वसूल नहीं किया जा सका।

(कंडिका 5.11)

VI. राज्य आबकारी

सहायक आयुक्त व कलेक्टर द्वारा पूर्व वर्ष के वास्तविक खपत को आबकारी आयुक्त के निर्देशों के बावजूद ध्यान में नहीं रखने से न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का गलत निर्धारण करने के फलस्वरूप ₹ 52.89 लाख की अनुज्ञा शुल्क आरोपित नहीं की गई।

(कंडिका 6.9)

VII. अन्य कर - भिन्न प्राप्तियाँ

खनिज विभाग के उप संचालक द्वारा रॉयल्टी की कम दर अपनाने से ₹ 13.06 लाख कम आरोपित की गई।

(कंडिका 7.7)

VIII. वानिकी एवं वन्य जीवन (व्यय)

राज्य मे क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध होने के बावजूद गैर वनभूमि अनुपलब्धता के प्रमाणपत्र दिये गये तथा बिगड़े वन क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य किया गया।

(कंडिका 8.4.8)

एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम 835.616 हेक्टेयर वन भूमि का, सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने के सात वर्ष बीत जाने के बाद भी बिना भारत सरकार से लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्राप्त किये खनन हेतु उपयोग करता रहा।

(कंडिका 8.4.9.1)

राज्य शासन ने वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए 77.500 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग इको टूरिज्म केन्द्र के विकास में किया।

(कंडिका 8.4.9.2)

दरों के गलत प्रयोग, मार्गदर्शिका/स्वीकृति आदेश की शर्तों का पालन न किये जाने एवं मांग जारी न किये जाने से राशि ₹ 89.56 करोड़ की क्षतिपूर्ति वनीकरण की लागत, शुद्ध प्रत्याशा मूल्य आदि का अनारोपण/कम वसूली हुई।

(कंडिका 8.4.11 एवं 8.4.12)

अयोग्य क्षेत्रों, सघन वनों एवं पूर्व में रोपित किये जा चुके क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य किये जाने से ₹ 2.57 करोड़ का अधिक/निष्फल/संदेहास्पद व्यय हुआ।

(कंडिका 8.4.15 एवं 8.4.17)

छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा ने मार्गदर्शिका एवं भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत वाहनों के क्रय, अधोसंरचना निर्माण एवं इको टूरिज्म गतिविधियों पर ₹ 12.31 करोड़ का अनधिकृत व्यय किया।

(कंडिका 8.4.18)

कैम्पा मद के अंतर्गत विशेष प्रजाति रोपण योजना में विगत वर्षो में रोपण होने के बावजूद क्षेत्र का चयन किये जाने, गलत प्रजातियों का चयन किये जाने तथा उच्चतर दरों पर भुगतान किये जाने से ₹ 1.07 करोड़ का अनियमित/ संदेहास्पद/अधिक व्यय हुआ।

(कंडिका 8.4.19)

छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा मद द्वारा जंगल सफारी के अंतर्गत स्वीकृत कार्यो के अतिरिक्त अन्य कार्य किये जाने से ₹ 2.40 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ एवं साथ ही मुरूम संग्रहण पर ₹ 40.20 लाख का अधिक व्यय तथा वोइड्स का कटौत्रा न किये जाने से ₹ 14.72 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 8.4.23)